

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 28/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/57

प्रार्थी:-
विकास अधिकारी, पंचायत समिति
मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सारण
2. बसन्ती देवी पत्नी धर्मीचन्द जैन निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन।
3. आशा पत्नी शैतानसिंह जाति रावत राजपूत निवासी 73, उमाजी का ओडा, निचली निम्बडी, बोरीमादा हाल सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति :-

1. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम सिंह राजपुरोहित।

:- निर्णय :-

दिनांक : 27/03/2025

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 29.10.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बसन्ती देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2268 दिनांक 20.09.2003 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। प्रार्थी वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित, अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जैर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सारण ने मिसल संख्या 3 दिनांक 29.10.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बसन्ती देवी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा निष्पादित किया है। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है जबकि तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के अनुसार जैर निगरानी पट्टे की भूमि गैर मुमकीन श्मशान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 14779/2021 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.2021 की पालना के तहत ग्राम पंचायत सारण में खसरा नम्बर 1028 किस्म गैर मुमकिन श्मशान पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी किये हैं। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के पत्रांक 1209 दिनांक

अति. जिला कलेक्टर, पाली

03.03.2022 के अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा नम्बर 1028 में स्थित है। ग्राम

पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये इसे निरस्त करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टे को खसरा संख्या 1028 में स्थित होना बताया है परन्तु उनके द्वारा आबादी भूमि एवं सरकारी भूमि के खसरों की पेमाईश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 1028 के पुराने खसरा संख्या में श्मशान की भूमि कितनी थी, यह स्पष्ट नहीं है। जैर निगरानी पट्टे का ग्राम पंचायत द्वारा कोरम में प्रस्ताव लिया गया था तथा पंचायती राज नियमों के तहत कार्यवाही की जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। वर्तमान में मौके पर पक्के मकान बने हुये है तथा अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 से जरिये बेचान जैर निगरानी पट्टा खरीद किया है। इसलिये अप्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 29.10.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बसन्ती देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2268 दिनांक 20.09.2003 के विरुद्ध पेश की है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि प्रतिबंधित है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई। तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया। जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार मारवाड जंक्शन के पत्र दिनांक 03.03.2022 में अनुसार मौजा सारण के खसरा नम्बर 1024, 1028 में किये गये अतिक्रमियों के विरुद्ध दर्ज धारा 91 के प्रकरण दर्ज किये गये तथा मौके पर उक्त खसरों में अतिक्रमियों द्वारा पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 - विक्रय की शिक्त से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन - पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आवंटन, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है।



हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया और न ही उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी दिनांक का अंकन है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 16.07.2003, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो सायल के हस्ताक्षर हैं और न ही नक्शा तैयार किये जाने की दिनांक अंकित है। नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

प्रकरण में जो आपत्ति इशतिहार जारी किया गया, वह एक कार्बन कॉपी है और उक्त आपत्ति इशतिहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में गवाह के केवल हस्ताक्षर हैं उनकी वल्लिदयती अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे का क्षेत्रफल 3925 वर्गफीट है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार - (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल - (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 100/- (ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/- अर्थात् ग्राम पंचायत ने निर्धारित क्षेत्रफल से ज्यादा का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरुद्ध है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टे जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नही ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की रिपोर्ट में भी यह पाया है कि जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार - Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 - Revision by Collector of the order passed by Panchayat - Cancellation of patta granted by Panchayat - "Can



अति. जिला कलेक्टर, पाली

Panchayat sell public land? - The land which is neither Abadi land nor it belong to

panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को गुप्त तरीके से पट्टे देने एवं उपकृत करने के लिए पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टे विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 3 दिनांक 29.10.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 बसन्ती देवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2268 दिनांक 20.09.2003 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर पाली

